पत्रांक–04/STA-P3-149/2013

बिहार सरकार

(परिवहन विभाग)

महत्वपूर्ण

E-mail

पत्रांक–04/STA-P3-149/2013 2456 पटना, दिनांक– 10/4/18

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

विषय :– पर्यटक परमिट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया विभागीय ज्ञापांक–3546 दिनांक–30.07.2013 का संदर्भ लिया जाय। इसके द्वारा निदेश निर्गत है कि वाहनों को पर्यटक परमिट स्वीकृत किए जाने के संबंध में विहित आवेदन पत्र (फारम–45 एवं 46 में) जिला परिवहन कार्यालयों में जमा किये जाएंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक द्वारा निर्गत वाहन के जाँच प्रतिवेदन (Inspection Report) के साथ आवेदन को अनुशंसा सहित मुख्यालय को अग्रसारित करेंगे। तत्पश्चात् मुख्यालय से संपूर्ण भारत पर्यटक परमिट निर्गत किया जाएगा। वाहनों को पर्यटक परमिट निर्गत करने हेतु इसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम की धारा–88(9) में किए गए प्रावधान के अनुसार कोई भी राज्य पर्यटन की अभिवृद्धि के लिए पर्यटन यान के बावत् सम्पूर्ण भारत के लिए पर्यटक परमिट निर्गत कर सकेगा।

'पर्यटन यान' की विशेषता का विस्तृत विवरण केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 की नियम–85(A) में दिया गया है।

इस संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठकों में भी निर्णय लिए गए है कि जो वाहन 'पर्यटन यान' की शर्त्त को पूरा करेंगे उन्हे ही पर्यटक परमिट निर्गत किया जाएगा।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट पर्यटन यान / वाहन(Tourist Vehicle) को ही दिया जा सकता है। पर्यटक यान की जो विशेषता CMVR, 1989 के नियम–85 में वर्णित है उसके अनुसार पर्यटक वाहन में निम्न विशेषता होनी चाहिए।

1. 'पर्यटन यान'(Tourist Vehicle) शब्द यान के दोनो ओर 25 cm के व्यास से वृत के भीतर पेंट (Paint) किया जाएगा

   (CMVR, 1989 नियम 85A)
2. 'पर्यटन यान' (Tourist Vehicle) को सफेद रंग से रंगा जाएगा तथा एक 25 cm वाला नीला रिबन, बॉडी के वाह्य भाग के केन्द्र में होगा और साठ सेंटीमीटर व्यास के सर्कल के भीतर इस यान के दोनों ओर 'पर्यटक' शब्द लिखा जाएगा।
3. इस संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–1630 दिनांक–25.04.2013 के अनुसार पर्यटक वाहनों के निबंधन प्लेट पर 'पर्यटन यान' (Tourist Vehicle) अंकित होना चाहिए।

चूँकि पर्यटन यान की विशेषताएँ CMVR, 1989 के नियम 85/85(A) में स्पष्ट रूप से वर्णित है तथा पर्यटक वाहनों को ही सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट निर्गत करने का प्रावधान है, अतः यह आवश्यक है कि पर्यटक परमिट से संबंधित प्राप्त आवेदनों की अनुशंसा के पूर्व तथा 85(A) के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन निर्गत करने के पूर्व वाहन का गहन निरीक्षण कर लिया जाए तत्पश्चात् आवेदन की अनुशंसा की जाए।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में अनुरोध है कि वाहनों को CMVR, 1989 के नियम 85(A) के अनुपालन का प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व तथा पर्यटक परमिट के आवेदन को मुख्यालय को अनुशंसित करने के पूर्व वाहन की गहन भौतिक जाँच की जाय तथा इस संबंध में सब प्रकार से संतुष्ट होने के बाद ही आवेदन को अनुशंसित किया जाए।

विश्वासभाजन,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

maruti sir/hindi letter89